

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या—2406/2012/चित्तौड़गढ़

वाणिज्यिक कर अधिकारी, चित्तौड़गढ़।

.....अपीलार्थी.

ब्राम

मैसर्स नॉवलटी स्टोन्स, चित्तौड़गढ़।

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा

राजकीय उप अभिभाषक।

.....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 17.02.2014

निर्णय

उक्त अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जावेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जावेगा) के अपील संख्या 75/वैट/2011-12में पारित आदेश दिनांक 03.07.2012 के विरुद्ध पेश की गयी है जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 05.06.2011 में केडिटनोट्स से प्राप्त राशि ₹3,29,370/- को विक्रय मूल्य का भाग मानकर, कर ₹41,171/-व अनुवर्ती ब्याज ₹9,593/- की कायम मांग राशि को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपारत्त करने को विवादित किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 में प्रस्तुत किये गये बिक्री विवरण प्रपत्रों के अनुसार दर्शायी गयी खरीद पर आगत कर का मुजरा लिया गया है। प्रत्यर्थी को उनके विक्रेताओं ने विक्रय उपरान्त ट्रेड डिस्काउण्ट के क्रेडिट नोट जारी किये हैं, जिसके आधार पर प्रत्यर्थी ने विक्रय मूल्य कम दर्शाया है। ट्रेडिंग खाते में क्रय कम किया है। ट्रेडिंग एकाउण्ट में दर्शायी गयी खरीद राशि बिक्री विवरण प्रपत्रों में दर्शायी गयी राशि से कम होने के आधार पर तथा व्यापार खाते में दर्शायी गयी राशि पर आगत कर का मुजरा देय होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की आलौच्य अवधि के लिये वैट अधिनियम की धारा 23, 24 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.02.2011 में उक्त अन्तर राशि पर को बिक्री का भाग मानकर, कर व अनुवर्ती ब्याज अवधारित कर, मांग राशि का आरोपण किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के तहत परिशोधन आवेदन पत्र प्रस्तुत


अपील संख्या-2406 / 2012 / चित्तौड़गढ़

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 05.06.2011 के अस्वीकार कर दिया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यक्ति होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 03.07.2012 द्वारा स्वीकार की जाकर आरोपित कर को अपास्त किये जाने से व्यक्ति होकर राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि विक्रेता द्वारा दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट से प्रत्यर्थी की वास्तविक क्रय राशि कम होने से तथा उसी अनुपात में आउटपुट टैक्स कम किया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा क्रेडिट नोट के अनुपात में करारोपण करने में कोई भूल नहीं की थी। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर समुचित रूप से विचार किये बिना कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त करने में विधिक भूल की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी का कथन है कि प्रत्यर्थी द्वारा क्रय किये गये माल के खरीद मूल्य पर विक्रेता को कर अदा किया जाता है। प्रत्यर्थी ने आलौच्य अवधि में राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये माल की खरीद पर चुकाये गये कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि पर, करारोपण किया है। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि वेट अधिनियम की धारा 2(33) में परिभाषित रिवर्स टैक्स के अनुसार वेट अधिनियम की धारा 18(1) के क्लॉज 'ए' से 'जी' तक की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर ही पूर्व में क्रेडिट किया गया इनपुट टैक्स रिवर्स हो सकता है। प्रत्यर्थी ने धारा 18 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। इसके अलावा व्यवहारी ने प्रपत्र वैट-07 में वर्णित सम्पूर्ण खरीद पर वेट कर चुकाया है एवं विक्रेता ने उस कर को राज्य सरकार को अदा कर दिया। क्रेडिट नोट में कर राशि को लौटाया नहीं गया है, इसलिए व्यवहारी को प्रपत्र वैट-07 में घोषित आगत कर का मुजरा स्वीकृत किया जाना चाहिये। विक्रेता की ओर से प्रत्यर्थी को दिये गये मासिक/वार्षिक ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि वेट अधिनियम की धारा 2(36) के प्रावधानानुसार भी विक्रेता के विक्रय मूल्य से कम नहीं हो सकती। अतएव विक्रेता द्वारा वेट इन्वायस के सम्पूर्ण विक्रय मूल्य पर राज्य सरकार को वैट चुकाया जाकर की गई खरीद के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को विक्रेता द्वारा



अपील संख्या—2406/2012/चित्तौड़गढ़

दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि को प्रत्यर्थी के खरीद मूल्य में से कम करते हुए इसे विक्रय मूल्य मानकर वैट आरोपित करना पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित है। विद्वान अभिभाष ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक का अग्रिम कथन है कि वेट अधिनियम की धारा 18(3ए) का संशोधन दिनांक 09.03.2011 भूतलक्षी न होकर दिनांक 09.03.2011 से प्रभावी किया गया है, जिसके अनुसार राज्य में क्रय किये गये किसी माल की पश्चातवर्ती आर्थिक सहायता (subsidy) के आधार पर कम कीमत पर बिक्री होने पर ऐसे माल पर अनुज्ञेय इनपुट टैक्स विक्रय मूल्य पर देय आउटपुट टैक्स से अधिक नहीं होगा। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 18(3ए) के दिनांक 09.03.2011 से प्रभावी प्रावधानों के अनुसरण में पूवर्ती अवधि में ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानकर, वैट, ब्याज व शास्ति आरोपण का आदेश अविधिक एवं अनुचित होने से इस आदेश को अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी ने कोई भूल नहीं की है। विद्वान अभिभाषक ने उक्त तर्कों के समर्थन में कर बोर्ड की एकलपीठ के निर्णय (2012) 33 टैक्स अपडेट 199 मैसर्स हिंगड़ ट्रेडर्स उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—‘बी’ उदयपुर; अपील संख्या 650 से 654/2012/जालौर, अपील संख्या 853 से 861/2012/जालौर निर्णय दिनांक 19.12.2012, माननीय केरला उच्च न्यायालय के प्रिया एजेन्सीज के न्यायिक दृष्टान्त (2008) 14 वी. एस.टी. 293 एवं माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय के मद्रास सीमेंट लिमिटेड के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 35 वी.एस.टी. 14, 124 एस.टी.सी. 586 (सु.को.) मैसर्स नैवेली लिङ्गार्ड टॉरपोरेशन बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी का हवाला देते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी ने आलौच्य अवधि हेतु प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग एकाउण्ट में दर्शायी गयी खरीद, वैट—07 में दर्शायी गयी खरीद से कम दर्शायी गयी है। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुये वैट आरोपित किया गया है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी को विक्रेता द्वारा जारी ट्रेड डिस्काउण्ट को प्रत्यर्थी का विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना जा सकता। विक्रय मूल्य की परिभाषा वैट अधिनियम की धारा 2(36) अनुसार निम्न प्रकार है:—

अपील संख्या-2406/2012/चित्तौड़गढ़

2(36) "sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation I. — In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which such goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;

Explanation II. — Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any ex post facto grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

Explanation III. — Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स नैवेली लिमिटेड कॉरपोरेशन बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (124 एस.टी.सी. 586) के प्रकण में सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि:-


"It is that sale consideration, whether in cash or otherwise, which is receiveable in respect of sales made by the dealer which can possibly form part of the turnover of a dealer. It is that sum which can be legitimately regarded as forming part of the aggregate amount for which the goods have been bought or sold. The sum has to be paid either by purchaser or on his behalf by some other person. Any sum received *de hors* the contract of sale from another entity, whether it be the Government or any one else, cannot be regarded as being an amount which would form part of the sale price on which tax is

अपील संख्या-2406/2012/चित्तौड़गढ़

payable.” इस प्रकार प्रत्यर्थी के विक्रेता द्वारा क्रेडिट नोट से प्राप्त राशि प्रत्यर्थी के विक्रय मूल्य का भाग नहीं हो सकती। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण मूल्य का भाग नहीं हो सकती। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित मांग राशियों को अपास्त करने में कोई विधिक ब्रुटि नहीं की गयी है।

परिणामस्वरूप, राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2012 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल)

सदस्य